समाचार

फुटपाथ, पार्किंग स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराया निगम अमले ने

(हटाने के बाद पुनः कर लिया जाता है अतिक्रमण, संबंधितों को दी गई कड़ी हिदायत)

कोरबा 03 जनवरी 2023 – आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर नगर पालिक निगम कोरबा के अतिक्रमण दस्ते ने घंटाघर, चौपाटी व स्मृति उद्यान के सामने से फुटपाथ व पार्किंग स्थल में किए गए अतिक्रमण को आज पुनः हटाकर एवं बांस बल्ली जप्त कर स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराया, संबंधितों को कड़ी हिदायत दी कि वे पुनः अतिक्रमण का प्रयास न करें, अन्यथा उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

घंटाघर चौपाटी के समीप स्थित फुटपाथ एवं स्मृति उद्यान के सामने निर्धारित पार्किंग स्थल पर कतिपय लोगों द्वारा अवैध रूप से व्यवसाय संचालन हेतु बांस बल्ली लगाकर अतिक्रमण किया गया था, उनके इस कार्य से वाहनों की पार्किंग करने व आवागमन करने में आमनागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा यातायात बाधित होता है। आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने निगम के अतिक्रमण दस्ते को कड़े निर्देश दे रखे है कि फुटपाथ, पार्किंग स्थलों, शासकीय जमीनों व अन्य स्थलों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हों, यह सुनिश्चित कराएं, अतिक्रमण पर कड़ी नजर रखें तथा अतिक्रमण के किसी भी प्रयास पर तत्काल कार्यवाही करें व अतिक्रमण को हटाएं। पार्किंग स्थल व फुटपाथ पर अतिक्रमण करने के प्रयास की जानकारी होते ही निगम के अतिक्रमण दस्ते ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से लगाए गए बांस बल्ली को जप्त कर लिया तथा स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराया। यहॉ उल्लेखनीय है कि फुटपाथ, पार्किंग स्थलों से निगम द्वारा अतिक्रमण हटा देने के पश्चात संबंधित लोगों द्वारा पुनः अतिक्रमण का प्रयास किया जाता है, इसे देखते हुए निगम अमले ने संबंधितों को कड़ी हिदायत भी दी कि वे पुनः अतिक्रमण का प्रयास न करें, अन्यथा उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

अतिक्रमण न करें, असुविधा से बचें – आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने संबंधितों से कहा है कि वे फुटपाथ, पार्किंग स्थल, सड़क, सार्वजनिक स्थल व शासकीय जमीनों आदि में अतिक्रमण का प्रयास न करें, निगम अमले द्वारा इस पर कड़ी नजर रखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है, अतः अवैध कब्जा व अतिक्रमण न करें तथा अतिक्रमण हटाने से होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें। आयुक्त श्री पाण्डेय ने निगम के मैदानी अधिकारी कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अपने–अपने कार्य क्षेत्रों में अतिक्रमण पर सतर्क नजर रखें, जहॉ कहीं भी नया अतिक्रमण होते दिखें, उसे रोके तथा त्वरित रूप से हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।